खण्ड - 8 संख्या-4

बिहार विधान-सभा

(वादवृत्त)

दिन वृस्पतिवार, तिथि 27 फरवरी, 1997 ई०।

भारत के संविधान के उपबंध के अनुसार एकत्र
विधान सभा
का
कार्य-विवरण

सभा का अधिवेशन पटना के सभा सदन में दिन वृस्पतिवार, तिथि 27 फरवरी, 1997 को पूर्वाह्न 11.00 बजे अध्यक्ष, श्री देवनारायण यादव के सभापतित्व में प्रारंभ हुआ।

खण्ड - 8 संख्या-4

एकादश बिहार विधान-सभा

विधान-सभा वादवृत्त

भाग - 1

कार्यवाही प्रश्नोत्तर सहित।

दिन वृस्पतिवार, तिथि 27 फरवरी, 1997 ई०।

+++++++++++++++++++

+ विषय सूची +

+++++++++++++++++++

प्रश्नों के मौखिक उत्तर :

अल्पसूचित प्रश्नोत्तर सं.- 22, 23, एवं 24

तारांकित प्रश्नोत्तर सं. -111, 112, 116, 118 एवं 119

टिप्पणी : किन्ही मंत्रियों अथवा सदस्यों ने अपना भाषण संशोधित नहीं किया है।

श्री इंदर सिंह नामधारी : मंत्री : (1) खाता पुस्तिका के लिये केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि 7.82 लाख रूपये सिविल डिपोजिट में जमा था जिसमें से 2 करोड़ रूपये की निकासी की जा चुकी है। शेष राशि की निकासी की कार्रवाई चल रही है। अभिधारी खाता पुस्तिका के अंतर्गत केन्द्र सरकार का अंशदान 7.82 एवं राज्य सरकार का अंशदान 7.82 लाख रूपये होता है। इसमें केन्द्र सरकार ने अपना अंशदान दे दिया है। राज्य सरकार का अंशदान दे दिया है। राज्य सरकार का अंशदान अभी प्राप्त करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

(2) उत्तर स्वीकारात्मक है। जब तक चार हजार गांवों में खाता पुस्तिकाओं का वितरण किया गया है, शेष की कार्रवाई अग्रेत्तर स्तर पर है। साथ ही खाता पुस्तिकाओं में बटाईदारों के नाम दर्ज करने संबंधित निदेश सरकार के स्तर से सभी राजस्व पदाधिकारियों को निर्गत कराये गये हैं।

(3) वटाईदारों का नाम खाता पुस्तिका में वर्षा करवाने हेतु सरकार द्वारा सभी राजस्व पदाधिकारियों को निदेश दिया गया है।

श्री रामदेव वर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह इस राज्य का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इसलिए है कि गरीबों के रेकर्ड को अपटुडेट करने के लिए केन्द्र सरकार ने इनको 7.5 करोड़ रूपया दो साल पहले ही दिया,

आज भी उसमें से केवल 2 करोड़ रूपया ही निकाला गया है और 5.5 करोड़ रूपया आज भी सी.डी. में जमा है। यह पैसा ये कब निकालेगें ? यह बिहार में जमीन के रेकर्ड को अपटुडेट करने की दिशा में शिथिलता का द्योतक है या नहीं?

श्री इंदर सिंह नामधारी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह सूचना देना चाहता हूँ कि खाता अभिधारी पुस्तिका का एक्ट बिहार में 1973 में बना, इसमें सरकार की नीयत साफ है कि पिछले 25 वर्षो में जो काम पिछली सरकारें नहीं कर सकीं, उसको यह सरकार कर रही है और करने जा रही है।

श्री रामदेव वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट पूछा है कि दो साल पहले केन्द्र सरकार ने 7.5 करोड़ रूपया दिया बिहार के लिए और इन्होंने दो साल के बाद भी 5.5 करोड़ रूपया सिविल डिपोजिट में जमा किया हुआ है, यह शिथिलता का एटीट्यूड है या नहीं ?

श्री इंदर सिंह नामधारी : अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि यह शिथिलता का प्रतीक कतई नहीं है। यह काम 10 साल पहले भी शुरू हुआ था इसलिए उस समय जो नहीं हो सका था, पहले उनका वितरण किया जा रहा है और उसके लिएं 2 करोड़ रूपये निकाला गया है, उसके बाद फिर 1 करोड़ 85 लाख रूपया

हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन को और 15 लाख रूपया टेक्सट बुक कारपोरेशन को दिया है प्रिंटिंग के लिए, जब जरूरत होगी तो रूपये को सिविल डिपोजिट से निकाल लिया जायेगा।

श्री रामदेव वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैंने समिति के माध्यम से अनेकों प्रखण्डों का दौरा किया है, उन तमाम जगहों में जमीन का रेकर्ड तैयार है, खाता पुस्तिका रजिस्टर भी बना हुआ है, खाता पुस्तिका के अभाव में वितरण नहीं हो रहा है, यह बात है या नहीं?

श्री इन्दर सिंह नामधारी: अध्यक्ष महोदय, खाता पुस्तिका तैयार करते समय सरकार का आदेश है कि यदि कोई वटाईदार या दर रैयत जो जेनयुइन है, उसकी इंट्री की जाय और मैंने खुद स्टेटमेंट दिया है कि 65 हजार गांवों में से अभी सिर्फ 4 हजार गांवों में ही खाता पुस्तिका का वितरण किया जा सका है, सरकार की तरफ से क्लियर निदेश है, यदि कोई स्पेसिफिक उदाहरण हो, तो माननीय सदस्य उसको दें।

श्री रामदेव वर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह सरकार सामाजिक न्याय का नारा देने वाली सरकार है और सामाजिक न्याय का नारा देने वालों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिहार के किन-किन प्रखण्डों में, किन-किन पंचायतों में 4 हजार गांवों में खाता पुस्तिका वितरित की गयी है। मैं जिला परिषद् एवं पंचायती राज समिति

के संयोजक की हैसियत से सात जिलों का स्थल अध्ययन किया हूँ, बोकारों, धनबाद, सिवान, गोपालगंज, भागलपुर आदि 7 जिलों में कहीं भी एक भी बटाईदार का नाम दर्ज नहीं किया गया है । मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय, सरकार से जानना चाहता हूँ कि सरकार इसको स्पष्ट करे कि क्या इन जिलों में एक भी बटाईदार का नाम दर्ज किया गया है? यह सह है या नहीं ?

श्री इंदर सिंह नामधारी : अध्यक्ष महोदय, जिन सात जिलों का जिक्र माननीय सदस्य कर रहे हैं, उनमें खाता पुस्तिका का वितरण हुआ ही नहीं है, इसलिए नाम दर्ज नहीं किया गया है। मैंने खुद कहा है कि अभी केवल 4 हजार गांवों में ही बांटा जा सका है।

श्री रामदेव वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सारा रेकर्ड तैयार है, खाता, खेसरा, नक्शा सब तैयार है, लेकिन कहीं भी एक भी बटाईदार का नाम दर्ज नहीं किया गया है।

श्री इंदर सिंह नामधारी : अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य कोई स्पेसिफिक उदाहरण देते हैं तो उसपर त्वरित कार्रवाई की जायेगी, जेन्युइन बटाईदार होंगे तो उनका नाम इन्ट्री किया जायेगा।

श्री रामदेव वर्मा : अध्यक्ष मोहदय, इन्होंने कहा बोनाफाईड बटाईदार, तो मैं जानना चाहता हूँ कि बोनाफाईड बटाईदार का क्या अर्थ होता है ?

श्री इंदर सिंह नामधारी: अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि भूमि सुधार के

मामले में माननीय सदस्य वर्मा जी बड़े जानकार सदस्य हैं एवं तेज सदस्य हैं, लेकिन जिन जिलों का जिक्र इन्होंने किया है, उन जिलों में बितरण की प्रगति नगण्य हुई है।

श्री रामदेव वर्मा : अध्यक्ष महोदय, ये गलत जबाब दे रहे हैं, मैं इसको चैलेंज करता हूँ, मंत्री महोदय इसकी जांच करा लें।

श्री इंदर सिंह नामधारी : अध्यक्ष महोदय, जांच करवाने के लिए मैं तैयार हूँ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री रामदेव वर्मा जी, आपके प्रश्न का ज़बाब माननीय मंत्री ने दिया है और उसपर आपने जो भी सप्लिमेन्ट्र किया है, उसको माननीय मंत्री पूरी तरह से दिखवा लेंगे।

श्री राजो सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप भी राजस्व मंत्री रह चुके हैं, मैं माननीय राजस्व मंत्री से जानना चाहता हूं कि बटाईदारी एक्ट बिहार में पास है या नहीं? बटाई जमीन किसकी होगी? अध्यक्ष महोदय, पहले जो बटाईदारी कानून बना है, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछ रहा हूं कि ये जो जबाव दे रहे हैं कि बिहार बिहार में बटाईदारी कानून पास है, वह लागू है या नहीं, सरकार इस बात का जानकारी दे।

श्री इंदर सिंह नामधारी : अध्यक्ष महोदय, जो अद्यतन् स्थिति है, उसमें भूमि सुधार एक्ट में प्रोविजन किया गया था कि अगर कोई बटाईदार अर्हताएं पूरी करता है, तो पहले ऐसा प्रावधान था कि डी.सी.एल.असर. को पावर था कि वह उसका नाम खाता में दर्ज करे। अब सरकार ने यह पावर डी.

सी.एल.आर. से लेकर अंचलाधिकारी को दे दिया है कि अगर अंचलाधिकारी संतुष्ट होता है, तो खाता पुस्तिका में उसका नाम इंट्री किया जायेगा।

राजो सिंह : अध्यक्ष महोदय, बटाईदारी कानून जो पास किया गया है, जो विधान-सभ में पास हुआ है उसमें बरी किया गया है कि जो मिलिट्री में काम करने वाला है, जिनको एक डेढ़ एकड़ जमीन है, या जो काम करने लायक नहीं हैं, उसको इससे बरी किया जाय। यदि उसका भी दर्ज कर दिया जायेगा तो इससे सिर्फ समाज में अशांति ही फैलेगी।

इंदर सिंह नामधारी : अध्यक्ष महोदय, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जो बोनाफाइड होंगे, उनको देखते हुए किया जायेगा।

अंबिका प्रसादः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री रामदेव वर्मा जी ने प्रश्न करते हुए जिन लोगों का नाम लिया और कहा कि वहां पर बटाईदार का नाम नहीं चढ़ा है, मंत्री महोदय के ज़बाब को वर्मा जी ने चुनौती दिया तो इसपर आपका कोई निगमन तो होना चाहिए ?

ध्यक्ष : मैंने माननीय सदस्यों की सारी बातों को सुनी है, खाता पुस्तिका की भी बात सुनी, जो बटाईदारी कानून का उल्लेख किया गया है, उसको भी मैंने सुना। माननीय मंत्री का जबाब हुआ है, जब वे कार्रवाई करेंगे तो इसके सभी पहलुओं को देखते हुए, सभी पहलुओं की जांच कर जो न्यायमंगत हो और समुचित कार्रवाई हो, वे करेंगे।

श्री अम्बिका प्रसाद : अध्यक्ष मोहदय, मेरा एक पूरक प्रश्न है कि खतियान में जिस बटाईदार का नाम बटाईदार की हैसियत से दर्ज है, उसका नाम दर्ज करने में सरकार को क्या आपत्ति है?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इसमें मैंने कहा कि मंत्री जी सारी चीजों की जांच करेंगे, अब आप आगे बढ़ने दीजिये। माननीय सदस्य श्री देवदत्त

--------- :प्रसाद, आप अपना प्रश्न पूछें।

श्री मुंशीलाल राय : अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था पर हूँ। इस सदन की परिपाटी रही है कि जब कोई सवाल पूछा जाता है और माननीय मंत्री का उत्तर आता है तो यदि कोई माननीय सदस्य असंतुष्ट नहीं होते हैं और कहते हैं कि वे संतुष्ट नहीं हैं, तो यह परिपाटी रही है कि उसका जांच करवायी जाती है। अगर माननीय सदस्य चाहते हैं कि इसकी जांच करवायी जाय, तो इसमें सरकार को कोई हर्ज नहीं होना चाहिए।

अध्यक्ष : शायद माननीय सदस्य, श्री मुंशी लाल राय ने मंत्री जी की बातों को स्पष्ट नहीं सुना। उन्होंने कहा है कि जिस जिस जिलों में, उन्होंने जिस जिस जिलों का हवाला दिया है, वह लिखकर दें, मंत्री उसकी जांच करेंगे।

(सदन में शोरगुल)

अध्यक्ष : वर्मा जी, बैठ जाईये, मंत्री जी इसकी जांच करेंगे। माननीय मंत्री कृषि, अल्प-सूचित प्रश्न संख्या - 23 का उत्तर दें।

श्री रामजीवन सिंह : महोदय क- उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि बाजार समिति, गोपालगंज द्वारा वर्ष 90-91 से-------

श्री हिन्द केशरी यादवः अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी के जबाब को आपने स्पष्ट रूप से अगर सुना तो हमलोगों ने भी सुना और पूरे सदन ने उनकी बात सुनने का काम किया।

अध्यक्ष : अब आप, बैठें, मैंने दूसरा प्रश्न पुकार दिया है और अब कृषि वाली बात हो रही है।

श्री हिन्द केशरी यादवः इससे महत्वपूर्ण और क्या बात हो सकती है, साढ़े 7 करोड़ रु० में से साढ़े 5 करोड़ रुपया सिविल डिपोजिट में पड़ा रहा और राज्य सरकार को अपने हिस्से का अंशदान नहीं दिये जाने के कारण इस कार्य के लिए आवंटन नहीं प्राप्त हुआ।

अध्यक्ष : इसी पर डिसकशन सिर्फ होगा। आ रहा है राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद-विवाद, माननीय सदस्य उस पर अपना वकतव्य दें। देखिये मुझे सदन चलाना है और मंत्री जी जबाब दे रहे हैं, अब कृप्या बैठ जायें।

श्री हिन्द केशरी यादवः इसकी जांच होनी चाहिए। सदन की एक समिति बनाकर इसकी जांच होनी चाहिए और दोषी व्यक्तियों पर कारवाई की अनुशंसा करनी चाहिए। क्या गरीबों के हित की बात आप नहीं सुनियेगा?

अयध्यक्ष : जिस वर्ष खाता-पुस्तिका बनकर तैयार होगा, उसमें लिखा हुआ है कि जो बटाईदार हैं, उनका हक उसमें रखा जायेगा। इस बात को हम और आप सभी जानते हैं, आप बैठिये न।

श्री हिन्द केशरी यादव : साढ़े 7 करोड़ रूपये में से ---------

(सदन में शोरगुल)

(इस अवसर पर सी०पी०एम० एवं सी०पी०आई० के माननीय सदस्यों ने सदन का वहिर्गमन किया)

अध्यक्ष : माननीय कृषि मंत्री जवाब दें।

श्री हिन्द केशरी यादव : गरीबों के हित की बात नहीं सुनी जायेगी?

अध्यक्ष : गरीबों के मामले को पूरा सुना गया है और मंत्री जी ने जो कुछ भी जबाब दिया है, मैं अभी भी कहता हूँ कि खाता-पुस्तिका में नाम बटाईदारों का दर्ज करने का लिखा हुआ है।

श्री हिन्द केशरी यादव : इसकी जांच के लिए आप सदन की समिति बना दीजिए।

श्री उपेन्द्र नाथ दास : माननीय सदस्य, श्री हिन्द केशरी यादव जी इस बात का जनता दल की विधायकदल की बैठक में नहीं उठाते हैं और सदन में उठा रहे हैं।

श्री हिन्द केशरी यादव : जनता दल के विधायकों को सही बात जानने का सदन में अधिकार है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : प्रश्न तो होने दीजिए। शांति, शांति।

श्री रामजीवन सिंह : क- उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि बाजार समिति गोपालगंज द्वारा 1990-91 से 1996-97 के जनवरी तक कुल 10 करोड़ रूपये नहीं, अपितु 5 करोड़ 94 लाख 69 हजार रूपये राजस्व की प्राप्ति, जिसमें बाजार शुल्क अन्य मद में यह प्राप्त की गई थी जिसके विरूद्ध विकास मद में उस जिला में 1 करोड़ 70 लाख 23 हजार रूपये व्यय किये गये। प्राप्त राशि को विकास पर व्यय किये जाने के संबंध में कोई निश्चित प्रतिशत निर्धारित नहीं है।

ख- खंड "क" में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

श्री देवदत प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, बाजार समिति, गोपालगंज द्वारा जो राशि खर्च की गई है उसकी कृपा करके जांच करा ली जाए कि वह राशि कहां खर्च की गई है ?

श्री राम जीवन सिंह : महोदय, माननीय सदस्य चाहें तो किस-किस विकास कार्य में खर्च किये गये, सभी की सुची है, मैं पटल पर रख दूंगा, माननीय सदस्य को भी सूची दे देंगे। अगर उसमें कोई त्रुटि माननीय सदस्य कहेंगे तो उसकी जांच करा लेंगे।

अध्यक्ष : अब आप देख न लीजिए।

(व्यवधान)

श्री राम जीवन सिंह : ठीक है, जांच करवा देगें।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य एक-एक करके उठेगें तो मंत्री जबाब भी दे सकेगें और अभी माननीय प्रश्नकर्त्ता माननीय सदस्य खड़े हैं।

श्री देवदत प्रसाद : महोदय, यह सभी खर्च कागज पर बाजार समिति ने किया है, इसलिए मैं चाहूंगा कि सदन की समिति बना कर जांच करा ली जाए और शेष राशि जो भी मेरे जिला का आता है उसको रीलीज कर दिया जाए।

श्री राम जीवन सिंह : महोदय, मैने कहा कि 1990-91 से 1996-97 जनवरी तक जो राजस्व प्राप्ति हुई है उसका विकास मद में जो पैसा व्यय हुए हैं, किस-किस मद में हुए हैं, उसकी लम्बी सूची मेरे पास है, उसकी सूची माननीय सदस्य को दे देंगे और विभाग ने जो जवाब दिया है और उसमें कोई त्रुटि होगी तो माननीय सदस्य कहेंगे, तो उसकी जांच करा लेंगे।

श्री देवदत प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं उसी सूची को चैलेंज करता हूं, इसलिए कहता हूं कि जांच करवाया जाए।

श्री राम जीवन सिंह : महोदय, जिससे कहें, जांच करवा दूं। वहा के कलक्टर से, वहां के कमिश्नर से?

श्री रविन्द्र चरण यादव : कमिश्नर से।

अध्यक्ष : आप बैठिये, यह कमिश्नर से उसकी जांच करवा देंगे।

श्री रविन्द्र चरण यादवः कितने दिनों के अंदर? अध्यक्ष महोदय, जो जांच करने जाएं, वे माननीय विधायक को भी सूचित कर दें ताकि वे भी उस समय उपस्थित रहें और जांच का प्रतिवेदन कितने दिनों के अंदर देंगे?

श्री रामजीवन सिंह : महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जिला के विधायक जांच में उनके साथ रहें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। जांच मार्च के अंदर करा लिया जायेगा।

श्री रामजी लाल शारदा : अध्यक्ष महोदय, विकास पर निश्चित प्रतिशत खर्च करना है।

श्री राम जीवन सिंहः महोदय, नियम यह है कि बाजार समिति की जो आय होती है उसका 25 प्रतिशत अंशदान में चला जाता है पर्षद को, बोर्ड को, बाकी जो पैसा बच जाता है, वह स्थापना व्यय में और स्थापना व्यय के बाद जो बच जाता है, वह बाजार समिति के

उसी क्षेत्र के अंदर व्यय होता है।

श्रीमती सीता सिन्हा : अध्यक्ष महोदय -----------

अध्यक्ष : अगर आपको कृषि बाजार समिति पर बोलना हो तो आप अपने चीफ व्हीप से समय लेकर खूब बहस कीजिऐगा।

श्री रामजीवन सिंह : उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि भारत सरकार से वर्ष 1996-97 में कृषि विकास के लिए 482.23 लाख रूपया प्राप्त हुआ है जिनमें से 87.80 लाख रू० की योजना प्राधिकृत समिति के समक्ष स्वीकृति हेतु लंबित है। 24 लाख रु० की योजना स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् को भेजी गयी है। बाकी सभी योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है और इस साल पूरी राशि खर्च कर दी जायेगी।

श्री अम्बिका प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, हमारे आंकड़े और मंत्री जी के आंकड़े में 10 गुणा का फर्क है। हम मंत्री जी से यह जानना चाहते हैं कि केन्द्र सरकार ने 96-97 में जो रुपया दिया वह और वर्ष 95-96 में केन्द्र सरकार ने कितना रूपया दिया था। इसी से अंदाज लग जायेगा कि केन्द्र सरकार वर्ष में कितना रूपया देती है?

श्री रामजीवन सिंह : महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न देखा जाये उसमें है कि क्या यह बात सही है कि बिहार को कृषि विकास के लिए

1996-97 में केन्द्र सरकार से मिली 47 करोड़ की राशि खर्च नहीं हो पायी है। ये 96-97 वर्ष के लिए पूछ रहे हैं। अब ये कह रहे हैं पहले का। इसीलिए हमने कहा है कि आंशिक रूप से उत्तर स्वीकारात्मक है। स्थिति जरूर यह है कि पिछले वर्ष में जो पैसा आया उसमें से करीब-करीब हमारा 32 करोड़ से ज्यादा पैसा व्यय नहीं हो पाया है। इसका कारण यह है कि इसमें से 16 करोड़ से ज्यादा रूपया जल छाजन आदि पर खर्च करना था इसमें कई विभाग जैसे एग्रीकल्चर, एनीमल हसभेड्री जुड़ा हुआ था। इसके लिए डेवलपमेंट कमीश्नर के नेतृत्व में एक कमिटी बनी हुई थी। यह पैसा डी०डी०सी० को चला जाता था और वहां से पैसा बी०डी०ओ० को दे दिया जाता था। इससे उस पर विभाग का नियंत्रण नहीं हो पाता था। इसका परिणाम हुआ कि 93-94 तक देखा गया कि पैसा व्यय नहीं हो रहा है। उस पैसे को कहीं-कहीं बी०डी०ओ० ने जीप मरम्मति आदि दूसरे कार्यों में खर्च कर दिया। मुख्यमंत्री जी के लेबेल पर इसकी समीक्षा हुई तय हुआ कि प्रक्रिया में बदलाव जरूरी है। अब हम इस पैसे को वाटर सेफ मैनेजमेंट को देने की स्थिति में है।

अम्बिका प्रसाद : मंत्री महोदय ने स्वयं स्वीकार किया है कि 95-96 में 32 करोड़ रुपया आया और खर्च नहीं हुआ और सरकार ने 96-97

में जो उसके लिए यूटिलाईजेशन सर्टिफिकेट जो भेजा था उसके सिलसिले में केन्द्र सरकार ने क्या रूख लिया और इसबार कितना मांगा था और किस बजह से नहीं दिया?

श्री रामजीवन सिंहः महोदय, एक तो हमारा यह 4 करोड़ 82 लाख रूपया था वह पैसे भी हमको मिले हैं जनवरी में किस किस डेट को मिले हैं मैं बतलाता हूं, ये पैसे मिल हैं। 1 करोड़ 81 लाख 83 हजार रूपया यह हमको मिला 21 जनवरी 97 को, 24 लाख रूपया 19 दिसम्बर 96 को, 67 लाख रूपया मिला 21 जनवरी 97 को, 20 लाख रूपया मिला 3 फरवरी 97 को और 81 लाख रूपया मिला है 29 जनवरी 97 को और 17 फरवरी को 97 हजार मिला है और 1 करोड़ 7 लाख रूपया हमको क्रमश 13-12-96, 19-12-96 एवं 14-11-96 को और ये पैसे भारत सरकार से अभी प्राप्त हुए इसके लिए प्रक्रिया हं जैसे प्राधिकृति समिति और कैविनेट के सामने स्वीकृत कराना तो ये सारी प्रक्रियायें पूरी करके अभी हमने कहा कि बहुत सी की स्वीकृति मिल गयी है। जहां पीछे वाले राशि की इसमें जो स्वीकृति की जो प्रक्रिया है यह काफी यहां पर जटिल है। हमलोग इस स्तर पर सोंच रहे हैं कि कैसे इसको शिथिल करें, सरल कर दें जिससे समय पर जो भारत सरकार के पैसे आते हैं या दूसरी स्कीम के पैसे होते हैं उसको

समय पर यह किया जाय। होता क्या था महोदय, इस जटिल प्रक्रिया के चलते प्रत्येक जनवरी, फरवरी, मार्च में जाकर यह स्कीम स्वीकृत होती है जिसके चलते यह चला जाता था सी०डी० में इसलिए इसपर सोंच रहे हैं कि कैसे सरल करें जिससे कि भविष्य में यह कठिनाई पैदा नहीं हो।

अध्यक्ष : अव हो गया, अम्बिका बाबू, आप मंत्री जी से मिलकर डिटेल में बात कर लीजिए।

श्री अम्बिका प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, अंतिम प्रश्न है कि इसकी क्या गारंटी है कि 31 मार्च 97 तक यह राशि खर्च हो जायेगीअध्यक्ष महोदय,

श्री रामजीवन सिंह : कहे तो स्कीम स्वीकृत हो गयी, यह सतत् चलने वाली प्रक्रिया है काम पूराकर देंगे।

अध्यक्ष : अब तारांकित प्रश्न लिए जायेंगे।

श्री राधा कृष्ण किशोर : अल्प सूचित प्रश्न 25 मेरा वाला पुट किया हुआ मान लिया जाय नेक्सट डेट में उत्तर दिलवा दीजियेगा।

श्री सीताराम सिंह : अल्प सूचित प्रश्न संख्या 31 का ....

श्री राम जीवन सिंह : 6 तारीख को जबाब दे देंगे, जो रिपोर्ट आयी है, जो जवाब आया है उससे हम संतुष्ट नहीं थे।

अवध बिहारी चौधरी : उत्तर स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि मधुपुर शहरी क्षेत्र में निर्माणाधीन जलापूर्ति योजना के तहत दो जल ग्रहण

कूपों से कच्चा जल की आपूर्ति की जा रही थी। इसी बीच 27-9-95 को अचानक चक्रवात वर्षा एवं भीषण बाढ़ में दोनों कुप बह गया एवं तब से जलापूर्ति ठप्प हो गई है। तत्काल शहर में (1) अदद ड्रिल्ड नलकूप चालू है इसके अलावे कुछेक सतही कूप ही है जो नगरपालिका का है एवं निजी है।

(2) उपर्युक्त दोनों जलग्रहण कूप के पुर्ननिर्माण हेतु एक प्राक्कलन 5.14 लाख का सहायक विभाग को सहाय मद से आबंटन हेतु भेजा गया है। निधि अभी अप्राप्त है। निधि मिलने पर कार्य किया जायेगा।

श्री हुसैन अंसारी : अध्यक्ष महोदय मैंने आपके प्रश्न का उत्तर नहीं सुना।

श्री राधा कृष्ण किशोर : मेरा प्रश्न पुट कर दीजिए। राज्य हित में प्रश्न है।

अध्यक्ष : हाँ सब प्रश्न राज्य हित में होता है। देखिये हरेक मेम्बर चाहेगा कि हमारा ही प्रश्न आवे दूसरे का नहीं आवे तो यह संभव नहीं है यहां 325 मेम्बर हैं।

(इस अवसर पर माननीय सदस्य श्री राधा कृष्ण किशोर सदन के बेल में आए एवं माननीय अध्यक्ष महोदय के आसन के समीप जाकर बोलने लगे।)

अध्यक्ष : रामाश्रय बाबू आपकी बात मैंने सुन ली, आपने जो कहा इशारा भी समझ लिया।

(इस अवसर पर माननीय सदस्य श्री राधा कृष्ण किशोर सदन के बेल में धरना पर बैठ गए)

श्री मुंशी लाल राय : एकबार आगे बढ़ गए, तारांकित प्रश्न पुकार लिया, उत्तर हो गया फिर पीछे कैसे जाईयेगा।

अध्यक्ष : आपलोग मिलकर तय कर लीजिये कि अल्प सूचित प्रश्न हटा दिया जाये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय रामाश्रय बाबू, आपने मुझे इशारा किया है, हमने बात समझ लिया, उनको कहिये कि वे अपनी सीट पर जाकर बैठ जाय।

(व्यवधान)

श्री हुसैन अंसारी : अध्यक्ष महोदय, मेरा तारांकित प्रश्न सं०-111 का जवाब मंत्री ने पढ़ा, लेकिन शोरगुल के कारण सुनायी नहीं पड़ा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : जो कोई हमारे/अनुमति के बोलते हैं, उनका नहीं लिखा जायेगा।

(व्यवधान)

आपने हमको इशारा किया और हमने समझ लिया। बार-बार हमको प्रेशर नहीं कीजिये। माननीय सदस्य श्री राधाकृष्ण किशोर जी आप अनुशासन मानकर अपने सीट पर जाकर बैठ जायें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : एक बात मैं कह देना चाहता हूं प्रेशर में कोई बात मैं नहीं करूंगा। आप माननीय सदस्य हैं, मैं आपकी भावना का स्वागत करता हूं लेकिन प्रेशर देकर कहीयेगा कि यही बात मान ली जाय तो सदन चलेगा?

(व्यवधान)

श्री हुसैन अंसारी : मेरे प्रश्न का जवाब मंत्री ने दिया, वह मुझे सुनायी नहीं पड़ा।

अध्यक्ष : जवाब पुनः पढ़ दिया जाय।

श्री अवध बिहारी चौधरी : 1. उत्तर स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि मधुपुर शहरी क्षेत्र में निर्माणाधीन जलापूर्ति योजना के तहत दो जल ग्रहण कूपों से कच्चा जल की आपूर्ति की जा रही थी। इसी बीच 27.9.95 को अचानक चक्रपात वर्षा एवं भीषण बाढ़ में दोनों कुप बह गया एवं तब से जलापूर्ति ठप्प हो गई है। तत्काल शहर में (1) अदद ड्रिल्ड नलकूप चालू है इसके अलावे कुछेक सतही कूप भी है जो नगरपालिका का है और निजी है।

2. उपयुक्त दोनों जलग्रहण कूप के पुर्णनिर्माण हेतु एक प्राक्कलन 5.14 लाख का सहायय विभाग को सहायय मद से आवंटन हेतु भेजा गया है। निधि अभी अप्राप्त है। निधि मिलने पर कार्य किया जायेगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अनुशासनहीनता का कोई मान्य नहीं होता है। इससे बढ़कर कोई भी अनुशासनहीनता नहीं हो सकनी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप पुराने सदस्य हैं, आप अपने सीट पर जाकर बैठ जाईये। इस तरह की अनुशासनहीनता का कहीं कोई मान्यता नहीं है। आप हल्ला करेंगे और हम मान जायें, आपके अनुशासनहीनता का कोई भी सदन मानने को तैयार नहीं है। यह क्या तरीका है?

(व्यवधान)

श्री फुरकान अंसारी : माननीय सदस्य श्री हुसैन अंसारी का प्रश्न का जबाब नहीं हुआ है।

श्री रघुनाथ झा : जबाब तो दे दिया गाया। माननीय सदस्य पूरक पूछें।

श्री हुसैन अंसारी : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या इसी वित्तीय वर्ष में निधि का आवंटन हो जायेगा?

श्री अवध बिहारी चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जबाब के क्रम में माननीय सदस्य को बताया कि जो वहां कूप है, वहां बाढ़ आ जाने से, दैविक प्रकोप होने से वह खराब हो गया। उसके संबंध में 5.14 लाख रूपया का प्राक्कलन बनाकर रिलीफ डिपार्टमेंट को दिया गया है। वह पैसा प्राप्त हो जायेगा और निधि प्राप्त होने के बाद तुरंत ही कार्रवाई करके वहां भरपुर जलापूर्ति करा दी जायेगी। हमने यही जबाब दिया।

श्री हुसैन अंसारी : पैसा कब तक प्राप्त हो जायेगा ?

श्री अवध बिहारी चौधरी : बहुत प्रयास किया जा रहा है। रिलीफ डिपार्टमेंट से कि वह जल्द से जल्द राशि दे दे। 5.14 लाख रू. ताकि जो काम कराना है, उस काम को पूरा करा दें।

श्री रघुनाथ झा : 1. आंशिक रूप में स्वीकारात्मक है।

2. बिहार में प्रखण्डों की कुल संख्या 728 है, जबकि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों का कुल दल 527 है। इस प्रकार राज्य के सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी का पदस्थापन संभव नहीं है। कार्यहित में विभागीय पत्रांक 5105 दि. 30-12-96 द्वारा रिक्त प्रखंड को निकटवर्ती प्रखंड आपूर्ति पदधिकारी/आपूर्ति निरीक्षक के साथ सम्बद्ध करने का निदेश सभी जिला पदाधिकारियों को दिया गया है ताकि कार्य में व्यवधान नहीं हो।

श्री बाबु लाल : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी बताये हैं कि वहां पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी का जगह खाली है या नहीं?

श्री रघुनाथ झा : मैंने स्वीकार किया है और कहा है कि बगल के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को वहां संबद्ध कर दिया जाये।

श्री बाबु लाल : सरकार पोस्टिंग करने जा रही है कि नहीं?

श्री रघुनाथ झा : अगले स्थापना समिति में वहा पोस्टिंग कर देंगे।

श्री बाबु लाल : कब तक पदस्थापित कर देंगे?

श्री रघुनाथ झा : जून महीने में।

श्री रवीन्द्रचरण यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने प्रश्न के जवाब के क्रम में कहा है कि जिस प्रखंड में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी नहीं है, इस संबंध में सभी जिला पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, को प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी का चार्ज तत्काल दिया जाय। मैंने जिला पदाधिकारी, मधेपुरा से बात किया है, उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई पत्र प्राप्त नहीं है। वहा पर 12 प्रखंड हैं, वहां के प्रखंड विकास पदाधिकारी डिप्टी क्लक्टर हैं, उनको आपूर्ति पदाधिकारी का प्रभार नहीं दिया गया है, चूंकि सप्लाई डिपार्टमेंट से परिपत्र वहां नहीं मिला है।

रघुनाथ झा : अध्यक्ष महोदय, आपूर्ति विभाग को जो पत्र दिया गया है, उसमें यह है कि अगल-बगल के जो प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी हैं, उनको प्रभार दिया जाय न कि प्रखंड विकास पदाधिकारी को।

श्री रामजीवन सिंह : महोदय, यह प्रश्न पंचायत सेवक से संबंधित है, इसलिए इसको ग्रामीण विकास विभाग को स्थानांतरिक कर दिया गया है।

श्री मुंशीलाल राय : अध्यक्ष महोदय, बैठाजी का छूट गया है, वे हैं।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : खंड (1) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(2) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(3) श्री सरयु सिंह पर प्राधिकार के निगरानी शाखा में वाद चल रहा है। इस संबंध में निर्णय होते ही कार्रवाई की जायेगी। साथ ही उक्त सड़क के चौड़ीकरण हेतु कार्यक्रम निर्धारित किया जा रहा है। तदनुसार अतिक्रमण हटाकर चौड़ीकरण का कार्य शीघ्र सम्पन्न किया जायेगा।

श्रीमती सीता सिन्हा: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि वहां के ग्रामीणों ने 4 अगस्त, 1996 को जो सामुहिक आवेदन-पत्र दिया था तो उसपर क्या कार्रवाई हुई या अभी तक वह पत्र आपके विभाग में पड़ा हुआ है?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं कहा कि लोगों ने जो आवेदन दिया था, उसका जांच-पड़ताल को कार्रवाई निगरानी शाखा में चल रही है। मैं माननीय सदस्य को स्पष्ट रूप से कहा कि इसके बाद को कार्रवाई चल रही है।

(माननीय प्रश्नकर्त्ता सदस्य अनुपस्थित)

श्री रामदास राय : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री सुशील कुमार मोदी : अध्यक्ष महोदय, पूरे बिहार में किरासन तेल एवं चीनी की चोरबजारी हो रही है..................

अध्यक्ष : आप क्यों इनकी वकालत कर रहे हैं, वे तो अपने नहीं हैं।

श्री रघुनाथ झा : अध्यक्ष महोदय, मैं अगली तिथि को इस प्रश्न का जबाब दूंगा।

(व्यवधान)

इसका जबाब 6 तारीख को दूंगा।

अध्यक्ष : इसका जबाब 6 तारीख को होगा। माननीय सदस्य को 6 तारीख को रहने के लिए कहिए।

श्री अबध बिहारी चौधरी : खंड (1) उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वास्तुस्थिति यह है कि केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 1996-97 के 77.95 करोड़ रूपये जलापूर्ति मद में कर्णांकित हैं, जिसमें से प्रथम किस्त में 31.13 करोड़ की राशि भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को उपलब्ध करायी गयी है।

खंड (2) उत्तर अंशतः स्वीकारात्मक है।

अबतक कुल 148.92 लाख की राशि व्यय हो चूकि है। नलकूपों के निर्माण की राशि का लगभग 60 से 65 प्रतिशत की राशि सामग्री पर व्यय होता है। सामग्रियों के आयोजन के लिए कार्रवाई की जा रहा है।

खंड (3) सरकार पेय जलापूर्ति कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन हेतु सामग्रियों का क्रय इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व करने के लिए सतत प्रयत्नशील है।

श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, कब प्राप्त हुआ।

श्री अवध बिहारी चौधरी : महोदय, वर्ष 96-97 में प्राप्त हुआ। अब क्या चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री प्रेम कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था के प्रश्न पर खड़ा हूं। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि विधायक-कोटा का चापाकल तमाम विधान सभा क्षेत्र में लगाया जा रहा है लेकिन शहरी क्षेत्र के विधायक के क्षेत्र में चापाकल लगाने की अनुमति सरकार नहीं दे रही है, इसपर सरकार निर्णय ले।

श्री अवध बिहारी चौधरी : महोदय, जो यह विभाग है लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति के लिए जिम्मेवार है और शहरी क्षेत्र में जलापूर्ति देने का काम ----- नगर विकास के द्वारा होता है। इसलिए हम कहां से आपको चापाकल दे सकते हैं शहर में।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री का कहना है कि इसके लिए दूसरा विभाग है।

श्री राम जीवन सिंह : खंड (1) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(2) इसका योजना प्राप्त हो चुका है।

इसमें कुल 55 लाख 95 हजार 200 रूपया खर्च होगा। इस समिति का आय 6 लाख से 8 लाख के बीच में है। जिसमें 3 लाख से ज्यादा इसके स्थापना पर व्यय होता है। लेकिन माननीय विधायक ने लिखकर दिया है कि वहां के माननीय सांसद ने कहा है कि हम सांसद कोटा से 10 लाख रूपया देंगे और फिर कुछ विधायक कोटा से इसके लेकर के पर्षद इसको बना देगी। इस वित्तीय वर्ष में नहीं, आगे के वर्ष में हो जायेगा। यह कार्य करा दिया जायेगा।

श्री रामचंद्र रायः अध्यक्ष महोदय, इसी मार्च महीने में शुरू कर दीजिए।

श्री रामजीवन सिंह : अगले वित्तीय-वर्ष में करा देंगे।

श्री रामचन्द्र राय : मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, उसी समय उद्घाटन भी हो जायेगा। मार्च में शुरू करवा दीजिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ। जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों, उन्हें सभा-पटल पर रख दिये जायें।

परिशिष्ट-१

बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम ८९ (३) के अंतर्गत सभा मेज पर रखे गये प्रश्नों के लिखित उत्तर।